INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP01308291360009V

e-Stamp

अलका देवी
ACC Code-UP14448304
स्टाम्प वै० ला० नं०-48 / 21.01.2021
तहसील परिसर-औरैया
मोबाइल नं0-7417351212

Certificate No.	:	IN-UP01308291360009V
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 10:18 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14448304/ AURAIYA SADAR/ UP-ARY
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1444830498195408638751V
Purchased by	:	MUKESH KUMAR BHARTI PRABANDHAK SRKBGDSP SAMITI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MUKESH KUMAR BHARTI PRABANDHAK SRKBGDSP SAMITI
Second Party	:	SACHIV PRAVDHIK SHIKSHA PARISHAD UP
Stamp Duty Paid By	:	MUKESH KUMAR BHARTI PRABANDHAK SRKBGDSP SAMITI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

1375/23

NOTARIAL

NOTARIAL

Please write or type below this line

प्रारूप– "अ"

शपथपत्र

हम डॉ0 प्रमोद गुप्ता एवं मुकेश कुमार भारतीय क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति होमगंज फफूँद जनपद औरैया शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति होमगंज फफूँद जनपद औरैया द्वारा संचालित संस्था एम0एस0 भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फफूँद जनपद औरैया नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट श्री रामकुमार भारतीय ज्ञान देवी शिक्षा प्रसार समिति होमगंज फफूँद जनपद औरैया जहाँ भूमि स्थित है आराजी दरगाह फफूँद औरैया में गाटा संख्या 783/0.1814, 799/0.1154, 782/0.0175, 789/0.0070, 793/0.0337, 794/0.0140, 798/0.0390, 804/0.0214, 805/0.0197, 785/0.1027, 784/0.0025, 781/0.0300, 780/0.0187, 776क/0.0807,795/0.0245,796/0.1155 यानि कुल भूमि 0.8237 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 783/0.1814, 799/0.1154, 782/0.0175, 789/0.0070, 793/0.0337, 794/0.0140, 798/0.0390, 804/0.0214, 805/0.0197, 785/0.1027, 784/0.0025, 781/0.0300, 780/0.0187, 776क/0.0807,795/0.0245,796/0.1155 यानि कुल भूमि 0.8237 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06.01.2019 द्वारा पारित किया गया है।

P.T.O.

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित /सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

प्रमोद गुप्ता